



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-139/2010 धारा-3/25 आमर्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुहम्मद हुसैन उर्फ लाला पुत्र अब्दुल सत्तार नि0-मेढा पाटी, थाना-चॉटपुर, फतेहपुर को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष का साधारण कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एपीओ रणविजय सिंह



विवेचक-
उनिं0 बुद्धेलाल
वर्मा



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 अनिल कुमार